राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 18(5)त.शि./2004 जयपुर, दिनांक : 08 अगस्त, 2011

:: आदेश ::

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दिनांक 5.8.2011 को सत्र 2011–12 के लिए शुल्क संरचना निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप राज्य के अनुदानित शिक्षण सस्थानों में **स्व–वित्त पोषित आधार पर संचालित** विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए (सारिणी–I) तथा **राज्य पोषित आधार पर संचालित** विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए (सारिणी–II) के तहत सत्र 2011–12 के लिए शुल्क संरचना निम्नानुसार लागू की जाती है :–

सारिणी–I

क.स.	पाठ्यक्रम का नाम	ट्यूशन फीस प्रति वर्ष	विकास शुल्क प्रति वर्ष	कुल शुल्क प्रति वर्ष	कोशनमनी (रिफण्डेबल)
1	ME/BE/B.Arch./BHMCT	44000	11000	55000	7500
2	MBA/MCA	35000	11000	46000	7500
3	M.Pharma	44000	11000	55000	7500
4	B.Pharma	35000	11000	46000	7500
5	D.Pharma	23000	11000	34000	7500
6	Diploma HMCT	18000	11000	29000	7500
7	Diploma Engg. / Non Engg.	14000	8000	22000	7500

सारिणी–I

क. स.	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2011–12 शुल्क	सत्र 2011–12 कॉशनमनी
1	M.E/B.E./ BHMCT	30,000	5,000
2	B.Arch	30,000	5,000
3	MBA/MCA	30,000	5,000
4	B.Pharma	30,000	5,000
5	Diploma Engg./Non Engg.	10,000	2,000
6	D.Pharma	15,000	3,000

अभियॉत्रिकी महाविद्यालयों में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय विकास शुल्क विद्यार्थियों से संस्थानों द्वारा अलग से वसूल किया जावेगा।

कॉशनमनी केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों से ही प्राप्त की जायेगी तथा पाठ्यकम समाप्ति के पश्चात नियमानुसार संस्था द्वारा छात्रों को लौटा दी जायेगी।

राज्य पोषित पाठ्यक्रम का विकास शुल्क स्वंय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

राज्य से अनुदानित अभियात्रिंकी महाविद्यालयों में स्व–वित्त पोषित आधार पर संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त राज्य पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल शुल्क की 50 प्रतिशत देय होगी तथा उपरोक्तानुसार निर्धारित कॉशनमनी जमा करानी होगी।

आज्ञा से,

(विपिन चन्द्र शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, त0शि0
एवं पदेन सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति

प्रतिलिपि निम्नानंकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर/राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
4. प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/झालावाड/एम.एल.वी. इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा।
5. डीन एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर/कॉलेज फॉर टेक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग उदयपुर।
6. समन्वयक RPET, RMCAAT, RMAT-2011 को देते हुये लेख है कि उनसे संबंधित तकनीकी शिक्षण संस्थानों को इस आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें।
7. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, त0शि0